न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम् सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 922/2026

<u>असांव थाना काण्ड सं. – 150/2025</u>

अंतर्गत धारा 07 E.C Act 318(4),316(2), 3(5) BNS

अवध विहारी सिंह वगैरह .... आवेदक।

बनाम्

राज्य सरकार... विपक्षी

22.06.2026 आवेदक अभियुक्त 1. अवध विहारी सिंह 2. लकी सिंह उर्फ कुमारी लक्की सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर उभयपक्षों का सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई आपराधिक कार्य नहीं किये हैं। आवेदक अभियुक्त के द्वारा कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक सं0 1 का आपराधिक इतिहास है। आवेदक सं0 2 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। गांव की राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक सं0 1 पैक्स प्रेसिडेंट है व उम्मीदवार भी है इसी दुश्मनी के चलते यह केस किया गया है। रूपेश कुमार, भूषण सिंह और अंकुल सिंह ये सभी आवेदक के दुश्मन है जो इस प्राथमिकी के गवाह है वह पैक्स चुनाव के उम्मीदवार है। आवेदक अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचक के द्वारा दिनांक 06.12.2025 को बीडीओ जिरादेई को सूचित किया गया कि सकरा गांव के मानिया पंचायती में कुछ ग्रामीणों ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी की है। इस की सूचना पर असांव पुलिस को दी गयी, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जांच के बाद पता चला कि उपेन्द्र कुमार गुप्ता की जमीन पर तेल मिल 16 बोरी अनाज कुल 8 क्विंटल अनाज रखी हुयी थी उपेन्द्र कुमार गुप्ता से पुछने पर उन्होंने कहा कि 06.12.2025 को सुबह 08:35 बजे को आवेदक साईकिल से चावल लाकर मेरे चक्की में रहा था। इस अनाज को जप्त कर जिम्मेनामा अखिलेश प्रसाद को दे दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रासंगिक काण्ड धारा 07 E.C Act 318(4),316(2), 3(5) BNS के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अभियुक्तों पर आरोप है कि अवध बिहारी सिंह ने उपेन्द्र महतो के मिल में अवैध चावल बिक्री कर रहे थे इसकी जानकारी वरिये व कनीय पदाधिकारी को दिया गया जो चावल ठेला पर लादकर लाया गया था उसे ग्रामीणें के सहयोग

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम् सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 922/2026

असांव थाना काण्ड सं. – 150/2025

अंतर्गत धारा 07 E.C Act 318(4),316(2), 3(5) BNS

अवध विहारी सिंह वगैरह .... आवेदक।

बनाम्

राज्य सरकार.. विपक्षी

से पकड़ेकर रखा गया है। आवेदक पर आरोप है कि वह सरकारी अनाज के 16 बोरा चावल की कालाबाजारी कर उपेन्द्र कुमार गुप्ता के मिल में लाने का गंभीर आरोप है। इस वाद के कंडिका 2 में जप्ती सूची है, कंडिका 3 में वादी का पुनः बयान है। कंडिका 7,8 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पारा 32 में अवध बिहारी सिंह आवेदक का अपराधिक इतिहास है। आवेदक पर सरकारी अनाज का कालाबाजारी का गंभीर आरोप है। इस वाद से संबंधित अभियुक्त उपेन्द्र कुमार गुप्ता का नियमित जमानत दिया गया था। चुकि आवेदकगण पर स्पष्ट आरोप है कि मिल मालिक उपेन्द्र कुमार गुप्ता से पुछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 06.12.2025 को सुबह लगभग 08:35 के करीब डीलर कुमारी लक्की सिंह (संकरा पैक्स) के ससुर अवध बिहारी सिंह के द्वारा 08:35 के करीब ठेला और साईकिल पर उपेन्द्र कुमार गुप्ता के मिल पर कुल 16 बोरा वजन लगभग 8 क्वींटल उसना चावल लाया जिसे उपेन्द्र कुमार गुप्ता अपने मिल में रखा। चुंकि यह अग्रिम जमानत आवेदन है इसलिए जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त 1. अवध विहारी सिंह 2. लकी सिंह उर्फ कुमारी लक्की सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

(**लेखापित**)

ह0/–

(सुशान्त रंजन)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम्।

22.06.2026